

सीआरपीसी (CrPC) की धारा 144

प्रलिमि्स के लिये:

धारा 144, सीआरपीसी, उच्च न्यायालय, मौलिक अधिकार, नागरकिता (संशोधन) अधिनयिम

मेन्स के लिये:

धारा 144 सीआरपीसी के साथ मुद्दे, नि्माण और नीतियों के कार्यान्वयन से उत्पन्न मुद्दे।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में उत्तराखंड के हरिद्वार ज़िला प्रशासन ने रुड़की शहर के पास **दंड प्रक्रिया संहति।** (Code of Criminal Procedure- CrPC), 1973 की धारा Vision 144 के तहत निषधाज्ञा लागू की।

धारा 144

परचिय:

- ॰ यह कानून भारत में किसी भी राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के मजिस्ट्रेट को एक निर्दिष्ट क्षेत्र में चार या अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगाने का आदेश पारति करने का अधिकार देता है।
- ॰ यह उन **उपद्रव या किसी घटना के संभावति खतरे के मामलों में लगाया जाता है** जिसमें मानव जीवन को परेशानी या संपत्ति को क्षति पहुँचाने की संभावना होती है।
- ॰ यह आदेश किसी विशेष व्यक्ति या आम जनता के खिलाफ पारित किया जा सकता है।

धारा 144 की विशेषताएँ

- यह दिये गए क्षेत्राधिकार में किसी भी प्रकार के हथियार रखने या ले जाने पर प्रतिबंध लगाता है।
- ॰ इस तरह के कृत्य के लिये अधिकतम दंड तीन वर्ष है।
- ॰ इस धारा केअंतरगत पारतिआदेश के अनुसार, **जनता की आवाजाही नहीं होगी** और सभी शक्तिषण संस्थान बंद रहेंगे।
- ॰ साथ ही इस आदेश के संचालन की अवर्ध के दौरान किसी <mark>भी प</mark>रकार की जनसभा या रैलियाँ करने पर पुरुण रोक होती है।
- ॰ कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा किसी गैर-कानूनी <mark>सभा को भं</mark>ग न करना एक दंडनीय अपराध माना जाता है।
- यह अधिकारियों को क्षेत्र में इंटरनेट एक्सेस को ब्लॉक करने का अधिकार भी देता है।
- ॰ धारा 144 का अंतमि उद्देश्य उन क्<mark>षेत्रों में शांति</mark> और व्यवस्था बनाए रखना है जहाँ देनकि गतविधियों को बाधित करने से परेशानी हो सकती

धारा 144 के आदेश की अवधि:

- ॰ इस धारा के तहत कोई भी आदेश 2 महीने से अधिक की अवधि के लिये लागू नहीं हो सकता है।
- ॰ राज्य सरकार के विवक के तहत इसकी वैधता को दो और महीनों के लिये बढ़ाया जा सकता है जिसकी वैधता अधिकतम छह महीने तक हो
- ॰ स्थिति सामान्य होने पर धारा 144 को वापस लिया जा सकता है।

धारा 144 और कर्फ्यू में अंतर:

- धारा 144 संबंधित क्षेत्र में चार या अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगाती है, जबकि कर्फ्यू के दौरान लोगों को एक विशेष अवधि के लिये घर के अंदर रहने का निर्देश दिया जाता है। कर्फ्यू के समय सरकार यातायात पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाती है।
- 🛮 कर्फ्यू के दौरान बाज़ार, स्कूल, कॉलेज और कार्यालय बंद रहते हैं, जबकि केवल आवश्यक सेवाओं को ही पूर्व सूचना पर खोलने की अनुमति प्रदान की जाती है।

धारा 144 की आलोचना के कारण:

- यह पूर्ण शक्ति प्रदान करती है:
 - यह एक व्यापक धारा है जिसके प्रावधान एक मजिस्ट्रेट को पूर्ण शक्ति प्रदान करने के लिये पर्याप्त हैं, जिसका प्रयोग वह अनुचिति तरीके से कर सकता है।
 - इस तरह के आदेश के खिलाफ तत्काल उपाय स्वयं मजिस्ट्रेट के लिये पुनरीक्षण योग्य होते हैं।
- अधिकारों का उललंघन:
 - ॰ किसी पीड़ित व्यक्ति के <u>मौलिक अधिकारों</u> का हनन होने पर वह <u>रिट याचिका</u> दायर कर <u>उचच नयायालय</u> में अपील कर सकता है ।
 - हालाँकि ऐसी आशंकाएँ भी हैं कि उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप से पहले ही अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है।
- बड़े क्षेत्र पर प्रतिबंध लगाना न्यायोचित नहीं:
 - ॰ **एक बहुत बड़े क्षेत्र पर निषधाज्ञा लागू करना उचित नहीं है** क्योंकि सुरक्षा की स्थिति अलग-अलग जगहों पर भिन्न होती है और इससे एक ही तरीके से नहीं निपटा जा सकता है।
 - उदाहरण के लिये <u>नागरिकता (संशोधन) विधियक</u> के विशेध में **उत्तर प्रदेश** के एक बड़े क्षेत्र में **निषधाज्ञा** लागू कर दी गई थी।

धारा 144 पर सर्वोच्च न्यायालय का नरि्णय:

- **डॉ. राम मनोहर लोहिया वाद, 1967:** सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि "कोई भी लोकतंत्र तब तक सफल नहीं हो सकता है जब तक कि 'सार्वजनिक व्यवस्था' में नागरिकों के एक वर्ग को स्वतंत्र रूप से हस्तक्षेप करने की अनुमति प्राप्त है"।
- 'मधु लिमये बनाम सब-डिविज़िनल मजिस्ट्रेट, 1970:
 - भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्ला की अध्यक्षता वाली सात-न्यायाधीशों की पीठ के अनुसार, धारा 144 के तहत मजिस्ट्रेट की शक्त "प्रशासन की एक सामान्य शक्ति नहीं है, बल्कि न्यायिक तरीके से इस्तेमाल की जाने वाली शक्ति है और इसकी नयायिक जाँच की जा सकती है।
 - हालौंकि न्यायालय ने कानून की संवैधानिकता को बरकरार रखते हुए यह फैसला सुनाया कि धारा 144 के माध्यम से लगाए गए प्रतिबंध संविधान के अनुच्छेद 19 (2) के तहत निर्धारित मौलिक अधिकारों के लिये "उचित प्रतिबंध" के अंतर्गत आते हैं।
 - न्यायालय के अनुसार, यह सही है कि कानून का दुरुपयोग किया जा सकता है, अतः इसे रद्द करने का कोई कारण नहीं है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2012 में रामलीला मैदान में सो रहे आंदोलनकारियों के खिलाफ धारा 144 का इस्तेमाल करने पर सरकार की आलोचना की थी।
 - ॰ न्यायालय के अनुसार, इस तरह के प्रावधान का इस्तेमाल केवल गंभीर <mark>परस्थितियों</mark> में ह<mark>ी सार्</mark>वजनकि शांति बनाए रखने हेतु किया जा सकता है।
 - ॰ प्रावधान की प्रभावकारिता कुछ हानकिरिक घटनाओं को तुरंत रोकने से <mark>संबंधित है अर्था</mark>त् आपातकालीन स्थिति अचानक से उत्पन्न हुई हो और इसके परिणाम पर्याप्त रूप से गंभीर हो।
- सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, इस तरह के प्रावधान का इस्तेमाल नागरिकों के शांतिपूर्ण तरीक से इकट्ठा होने के मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगाने के लिये नहीं किया जा सकता है। इसे शिकायत अथवा विचार की अभिव्यक्ति अथवा किसी भी लोकतांत्रिक अधिकार के प्रयोग को रोकने हेतु एक 'उपकरण' की भाँति इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।

आगे की राह

- आपात स्थिति से निपटने में मदद के लिये धारा 144 एक उपयोगी उपकरण है। हालाँकि विशिष्ट उद्देश्यों के साथ व्यापक कार्यकारी शक्तियों के किसी भी संकीर्ण उद्देश्य की अनुपस्थिति कार्यकारी शाखा पर बहुत सीमित न्यायिक निरीक्षण के साथ इसे दुरुपयोग के योग्य बना देती है।
- इस धारा के तहत आगे बढ़ने से पहले मजिस्ट्रेट को जाँच करनी चा<mark>हिये</mark> और मामले की तात्कालिकता को रिकॉर्ड करना चाहिये।
- आपात स्थितियों से निपटने के लिये विधायिका द्वारा पूर्ण शक्तियाँ प्रदान करने और संविधान के मौलिक अधिकारों के तहत नागरिकों को दी गई व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा अन्य प्रकार की स्वतंत्रता की रक्षा करने की आवश्यकता को संतुलित करने की आवश्यकता है।

स्रोत: इंडयिन एक्सप्रेस

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/section-144-crpc